

प्रेषक,

एस०एन० शुक्ला,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2010

विषय: वर्ष 2009–10 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 26 मार्च, 2010 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु निर्मांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन कुल धनराशि रु0 9,66,10,000/- (रुपये नौ करोड़ छाँच लाख दस हजार मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि में से वर्ष 2009 में बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स की मद संख्या –18 के अधीन क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्यों पर धनराशि की आवश्यकता का निर्धारण करते हुये विभागीय मानकों एवं लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल रेट के अनुसार व्यय की जायेगी। कार्य की सतत निगरानी/गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्कफोर्स भी गठित करेंगे, जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्कफोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगी कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप



हो। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निरीक्षण आख्या तथा जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुये पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करायेंगे।

4. वर्ष 2009–10 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्मृतियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि वर्ष 2009 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्मृतियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की अनुमन्य श्रेणी की परियोजनाओं पर ही धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

5. बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त एवं अनुमन्य श्रेणी के कार्यों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी आंगणन तैयार करायेंगे। जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य, जो आपदा राहत निधि के लिये लागू शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिनकी कुल लागत ₹0 20 लाख से अधिक न हो, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राहत समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। यदि प्रस्तावित कार्य की लागत ₹0 20 लाख से अधिक, परन्तु ₹0 1 करोड़ से अनधिक हो, तो कार्य के अनुमोदन हेतु मण्डल स्तरीय राहत समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमदोपरान्त मण्डलायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न जनपदों के लिये शासनादेश संख्या 3665/1–10–2008–12(73)/2008, दिनांक 29 जुलाई, 2008 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्मृतियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों का सम्बन्धित जनपदों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7. तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

8. मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची माननीय जन–प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे



कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई है।

10. बाढ़ के अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र विशेष में 150 मिमी० वर्षा 24 घण्टे के अंदर रिकार्ड की गई हो, तो उस क्षेत्र विशेष में उसे अप्रत्याशित वर्षा माना जायेगा तथा आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स में बादल फटने (Cloud Brust) की घटना मानते हुये दैवी आपदा माना जायेगा।

11. बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा जिला स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

12. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

13. उक्त स्वीकृत धनराशि से बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मास्टररोल, एम०बी० तथा सम्बन्धित बाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम के समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन को भी उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त कार्यों की निर्दर्शनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में किये गये आपदा सम्बन्धी कार्यों का विवरण हो। इस निर्दर्शनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद की वेबसाइट पर जन सूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

14. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

15. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश



संख्या—1693 / 1—11—2005—रा०—11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उसे शासन को तत्काल समर्पित कर दी जाय।

16. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

17. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

18. आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का व्यय अनिवार्य रूप से सी०आर०एफ० की गाईड लाइन्स के अनुरूप किया जाय। इस बिन्दु का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(एस०एन० शुक्ला)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या — 1342(1) / 1—10—2010—14(15) / 2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. कोषाधिकारी श्रावस्ती।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—5
6. समीक्षाधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग—10 / राजस्व अनुभाग—6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2009—10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीश दुबे)
संयुक्त सचिव

संख्या – १३४२ / १–१०–२०१०–१४(१५) / २००९
दिनांक ३० मार्च, २०१० का संलग्नक

जनपद श्रावस्ती

रु० 20.00 लाख तक की परियोजना

लोक निर्माण विभाग

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (रु० लाख में)	जिला आपदा राहत समिति की संरक्षिति	कार्य की प्रकृति
1	वित्तीय वर्ष 2009–10 में एस०आर०एम०डी० (बाढ़/अतिवृष्टि) के अन्तर्गत पीलीभीत–बहराइच–बस्ती राज्य मार्ग के किमी०–२८६ से २९६ तक का मरम्मत का कार्य।	12.03	प्राप्त	मरम्मत
2	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त बहराइच–भिनगा–सिरसिया–चौधरीडीह मार्ग के किमी०–४७ एवं ४८ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.95	प्राप्त	मरम्मत
3	वित्तीय वर्ष 2009–10 एस०आर०एम०डी० के अन्तर्गत बहराइच–भिनगा–सिरसिया–चौधरीडीह मार्ग के किमी०–५७ के मरम्मत कार्य (बाढ़/एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त)।	16.11	प्राप्त	मरम्मत
4	वित्तीय वर्ष 2009–10 एस०आर०एम०डी० के अन्तर्गत बहराइच–भिनगा–सिरसिया–चौधरीडीह मार्ग के किमी०–५६ के मरम्मत कार्य (बाढ़/एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त)।	16.09	प्राप्त	मरम्मत
5	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से एन०एस०एल०एच० सम्पर्क मार्ग में किमी०–२७,२९,३३ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.35	प्राप्त	मरम्मत
6	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त बी०बी०एस०सी० मार्ग के किमी०–६१, ६२, ६५, एवं ६६ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.75	प्राप्त	मरम्मत



-२-

7	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त ककरदरी चौधरीड़ीह सम्पर्क मार्ग के किमी0–15,16,17,21,24 एवं 32 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.57	प्राप्त	मरम्मत
8	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त भिनगा भचकाही सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 से 12 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	18.66	प्राप्त	मरम्मत
9	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त भिनगा लक्ष्मनपुर सम्पर्क मार्ग के अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.90	प्राप्त	मरम्मत
10	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त लक्ष्मनपुर सिरसिया सम्पर्क मार्ग के किमी0–2 एवं 7 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.87	प्राप्त	मरम्मत
11	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त तिलकपुर भंगहा सम्पर्क मार्ग के किमी0–2 में डिप के अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	20.00	प्राप्त	मरम्मत
12	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त खैरी कलां सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 के पुल के पहुंच मार्ग का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	17.07	प्राप्त	मरम्मत
13	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त खैरी कलां सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 के पुल के फर्श का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.44	प्राप्त	मरम्मत
14	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त बालपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 के पुल के पहुंच मार्ग का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	10.35	प्राप्त	मरम्मत
15	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त भचकाही से बनकटी सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.96	प्राप्त	मरम्मत
16	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त परशुरामपुर चितईपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0–6 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.51	प्राप्त	मरम्मत



17	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त पुरुषोत्तमपुर सम्पर्क मार्ग के किमी०–२ का अनुरक्षण/सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	10.28	प्राप्त	मरम्मत
18	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त बेगमपुर सम्पर्क मार्ग के किमी०–३ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	5.15	प्राप्त	मरम्मत
19	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त जमुनहा ल्लाक से कथरा माफी सम्पर्क मार्ग के किमी०–२ एवं ३ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.62	प्राप्त	मरम्मत
20	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त कुण्डा सम्पर्क मार्ग के किमी०–१ एवं २ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	6.89	प्राप्त	मरम्मत
21	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सागर गांव सम्पर्क मार्ग के किमी०–१ एवं २ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	6.54	प्राप्त	मरम्मत
22	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त शिवगढ़ कला सम्पर्क मार्ग के किमी०–२ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.95	प्राप्त	मरम्मत
23	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त पूरे प्रसाद सम्पर्क मार्ग के किमी०–५ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	18.42	प्राप्त	मरम्मत
24	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त शंकरपुर सम्पर्क मार्ग के किमी०–१ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	3.35	प्राप्त	मरम्मत
25	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त गंगाभांगड़ सम्पर्क मार्ग के किमी०–१ का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.73	प्राप्त	मरम्मत
26	वित्तीय वर्ष 2009–10 में एस०आर०एम०डी० (बाढ़/अतिवृष्टि) के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में खरगौरा गनेश सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	8.90	प्राप्त	मरम्मत

63

27	वित्तीय वर्ष 2009–10 में एस0आर0एम0डी0 (बाढ़/अतिवृष्टि) के अन्तर्गत जनपद श्रावरत्ती में भवानी नगर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.50	प्राप्त	मरम्मत
28	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त पंडितपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 से 4 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.74	प्राप्त	मरम्मत
29	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त नौबस्ता सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 व 2 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	18.99	प्राप्त	मरम्मत
30	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त लक्ष्मनपुर सिरसिया सम्पर्क मार्ग के किमी0–14 से 16 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.87	प्राप्त	मरम्मत
31	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त भोजपुर बिल्ली सम्पर्क मार्ग के किमी0–8 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	9.46	प्राप्त	मरम्मत
32	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त हेमपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 व 2 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.86	प्राप्त	मरम्मत
33	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त ठंगपसरी सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 व 2 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	12.10	प्राप्त	मरम्मत
34	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त भगवानपुर लालपुर कुशमहवा सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 से 4 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	19.84	प्राप्त	मरम्मत
35	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त गंडीह सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	6.65	प्राप्त	मरम्मत
36	वित्तीय वर्ष 2009–10 में एस0आर0एम0डी0 (बाढ़/अतिवृष्टि) के अन्तर्गत गिलौला ब्लाक में महोरी–भैंसावां सम्पर्क मार्ग के सामान्य मरम्मत का कार्य।	19.68	प्राप्त	मरम्मत



37	वित्तीय वर्ष 2009-10 में एस0आर0एम0डी0 (बाढ़/अतिवृष्टि) के अन्तर्गत गिलौला ब्लाक में विजयपुर सिसावा सम्पर्क मार्ग के सामान्य मरम्मत का कार्य।	5.55	प्राप्त	मरम्मत
38	वित्तीय वर्ष 2009-10 में एस0आर0एम0डी0 (बाढ़/अतिवृष्टि) के अन्तर्गत गिलौला ब्लाक में परेवपुर सम्पर्क मार्ग के सामान्य मरम्मत का कार्य।	19.87	प्राप्त	मरम्मत
39	वर्ष 2009-10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त सिटकहना सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 से 4(500मी0) का अनुरक्षण/सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	5.12	प्राप्त	मरम्मत
40	वर्ष 2009-10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त भगवानपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 एवं 2(500मी0) का अनुरक्षण/सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	4.59	प्राप्त	मरम्मत
योग :-		589.26		

सिचाई विभाग

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (रु0 लाख में)	जिला आपदा राहत समिति की संस्थाति	कार्य की प्रकृति
1	राप्ती योजक नहर के दायें बैंक पर किमी0 16720 से 16735 तक नहर के आन्तरिक भाग पर बाढ़ के कारण हुई क्षति में मिट्टी भराई का कार्य	0.64	प्राप्त	मरम्मत
2	राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम मुजेहना में डैपनर नं0 1, 2, 3 पुर्णस्थापना का कार्य	19.92	प्राप्त	मरम्मत
3	राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम मुजेहना में डैपनर नं0 2-3 के बीच पुर्णस्थापना का कार्य	19.41	प्राप्त	मरम्मत
4	राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम परसाडेहरिया-तिलकपुर तटबंध के किमी0 0.0-4.200 तक रेनकट भरना एवं पुर्णस्थापना का कार्य	16.86	प्राप्त	मरम्मत
योग-		56.83		

जल निगम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹० लाख में)	जिला आपदा राहत समिति की संस्थुति	कार्य की प्रकृति
1	बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म के मरम्मत का कार्य	4.41	प्राप्त	मरम्मत
2	बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य	12.18	प्राप्त	मरम्मत
3	हैण्डपम्पों के जी०आई०पम्प के मरम्मत का कार्य	2.75	प्राप्त	मरम्मत
योग—		19.34		

₹० 20.00 लाख से अधिक एवं ₹० 1.00 करोड़ लागत की परियोजना

लोक निर्माण विभाग

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹० लाख में)	मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति की संस्थुति	कार्य की प्रकृति
1	वित्तीय वर्ष 2009–10 में एस०आर०एम०डी० (बाढ़/अतिवृष्टि) के अन्तर्गत गिलौला ब्लाक में पीलीभीत–बहराइच–वस्ती राज्य मार्ग के किमी०–284 (गिलौला करबे के आबादी भाग) में सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	41.76	प्राप्त	मरम्मत
2	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त बहराइच–ककरदरी मार्ग के किमी०–14, 17(आबादी भाग), 22, 25 (आबादी भाग), 27, 31, 32, 33, 38(आबादी भाग), 41(आबादी भाग) एवं 42 का अनुरक्षण/सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	38.92	प्राप्त	मरम्मत



3	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त रमनगरा सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 व 2 का अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।	47.22	प्राप्त	मरम्मत
4	वित्तीय वर्ष 2009–10 में एस0आर0एम0डी0 (बाढ़ / अतिवृष्टि) के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में कोकल सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	45.81	प्राप्त	मरम्मत
5	वित्तीय वर्ष 2009–10 में एस0आर0एम0डी0 (बाढ़ / अतिवृष्टि) के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में भंगही सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	45.32	प्राप्त	मरम्मत
6	वित्तीय वर्ष 2009–10 में एस0आर0एम0डी0 (बाढ़ / अतिवृष्टि) के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में एहलावा—मछरिहवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	55.00	प्राप्त	मरम्मत
7	वर्ष 2009–10 में बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त हरिहरपुर गुरुदत्त सम्पर्क मार्ग के किमी0–1 एवं 2 का अनुरक्षण/सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	26.64	प्राप्त	मरम्मत
	योग	300.67		

(एस0एन0 शुक्ला)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त